OM PRAKASH SAHU

Digitally signed by OM PRAKASH SAHU
Date: 2024.03.30 16:43:46 +0530

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव (छ.ग.)

:: संशोधन आदेश (द्वितीय) ::

क्रमांक क/स्टेनो/मु.न्या.मजि./2024 राजनांदगाँव दिनांक 11.03.2024

छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक–एफ 3–99/2023/बजट/गृह–दो, दिनांक 09.01.2024 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला राजनांदगाँव के थाना लालबाग के अंतर्गत ग्राम सुकुलदैहान को नवीन पुलिस चौकी के रुप में अधिसूचित किया गया है । उपरोक्त अधिसूचना के तारतम्य में दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 दिनांक 18.01.2024 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

(1) दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 के पेज नंबर–1, सरल क्रमांक–1 के स्तम्भ क्रमांक–3 में कंडिका–(4) पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ के बाद “(4A) पुलिस चौकी सुकुलदैहान" जोड़ा जाता है ।

(2) दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 के पेज नंबर–3, सरल क्रमांक–3 के स्तम्भ क्रमांक–3 में कंडिका–(4) पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ के बाद “(4A) पुलिस चौकी सुकुलदैहान" जोड़ा जाता है ।

(3) दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 के पेज नंबर–4, सरल क्रमांक–5 के स्तम्भ क्रमांक–4 में कंडिका–(3) पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ के बाद “(4A) पुलिस चौकी सुकुलदैहान" जोड़ा जाता है ।

(4) दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 के पेज नंबर–5, सरल क्रमांक–6 के स्तम्भ क्रमांक–3 में कंडिका–(4) पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ के बाद “(4A) पुलिस चौकी सुकुलदैहान" जोड़ा जाता है ।

(5) दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 के पेज नंबर–10, परिशिष्ट–ए के सरल क्रमांक–2 एवं 4 के स्तम्भ क्रमांक–3 में पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ के बाद "पुलिस चौकी सुकुलदैहान" जोड़ा जाता है ।

(6) दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 के पेज नंबर–14, परिशिष्ट–सी के सरल क्रमांक–2 के स्तम्भ क्रमांक–3 में पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ के बाद "पुलिस चौकी सुकुलदैहान" जोड़ा जाता है ।

यह संशोधन आदेश (द्वितीय) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा ।

(माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित) सही/–

(ओमप्रकाश साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजनांदगाँव (छ.ग.)